

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072025-264418 CG-DL-E-05072025-264418

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477] No. 477] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

- फा. सं. एनसीटीई-रेगु012/4/2025—विनि. अनु.-मुख्यालय.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 में पूनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः—
- 1. लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन—(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 के परिशिष्ट—15 में, अनुच्छेद 6क में, दोनों स्थानों पर, जहां आंकड़े ''2025—2026'' आते हैं, उनके स्थान पर, आंकड़े ''2026—2027'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अभिलाषा झा मिश्र, सदस्य सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./210/2025-26]

4414 GI/2025 (1)

टिप्पणी:— दिनांक 28 नवंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एफ.51-1/2014/एनसीटीई (एनएंडएस) *द्वारा* मूल विनियम, दिनांक 01 दिसंबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड—4 में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक 25 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. एनसीटीई-रेगु. 022 / 16 / 2023— विनि. अन्.—मुख्यालय *द्वारा* संशोधित किए गए थे।

NATIONAL COUCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2025

- **F. No. NCTE-Regl012/4/2025-Reg. Sec-HQ**.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely: -
- **1. Short title and commencement.** (1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Amendment) Regulations, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, in Appendix-15, in paragraph 6A, for the figures "2025-2026" at both the places where they occur, the figures "2026-2027" shall be substituted.

ABHILASHA JHA MISRA, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./210/2025-26]

Note: - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st December 2014, *vide* notification number F. 51-1/2014/NCTE (N&S), dated the 28th November, 2014 and were last amended *vide* notification number F. No. NCTE-Regl.022/16/2023-Reg. Sec-HQ, dated the 25th January, 2024.